

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 58]

नई दिल्ली, शुक्रवार, <mark>जनवरी 13, 2012 ⁄पौष 23,</mark> 1933

No. 58]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 13, 2012/PAUSA 23, 1933

पोत परिवहन मंत्रालय

(वाणिज्यक पोत परिवहन)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जनवरी, 2012

का.आ. 67(अ).—वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) की धारा 4:5ख क खुण्ड (ग) क अतगत पदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार एतद्द्वारा, मत्स्यन जलयाना ओर पाल-चालन जलयानों का छाडकर, परन्तुक धाओ जैस परपरागत मत्स्यन जलयानों को शामिल करते हुए, केवल मत्स्यन के लिए प्रयाग किए जाने वाले, किसी भी भारतीय भाषा में किसी भी प्रकार से वर्णित प्रत्येक जलयान अथवा पोत को उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए "भारतीय मत्स्यन नौकाएँ" के रूप में विनिर्दिष्ट करती है।

[फा. सं. एस आर-12020/1/2010-एमजी]

राकेण श्रोवास्तव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING

(Merchant Shipping)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th January, 2012

S.O. 67(E).—In exercise of the powers conferred under clause (c) of Section 435B of the Merchant Shipping Act, 1958, (44 of 1958) the Central Government hereby specifies every vessel or ship of any description in any Indian language, other than Fishing Vessels and Sailing Vessels but including traditional fishing crafts like dhow, used solely for fishing to be "Indian fishing boats" for the purposes of the said section.

[F.No. SR-12020/1/2010-MG] RAKESH SRIVASTAVA, Jt. Secy.